

| तारीख हुकम ५ | हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहक हुकम में |
|--------------------|---|-----------------------------|
| 15/4/25 | <p> पनावनी पेरा डई / बहुमय प्रारंभ / उपरि / वरु प्रो व्हा व्हा शर RT गव.स. 039 R1820 pc के पर 424 से पनावनी का अवलोकन फिल मना / 31/4/25 नियंत्रण के प्रकरण को adjudicate करने के लिए माननीय Supreme Court द्वारा Dalpat Kumar Vs prahlad Singh 1992 AIR SCW 3128 एवं उनका Seema Arshad Zaheer & Ors. Vs Municipal Corporation of Greater Mumbai civil appeal no 9479/2005 में दिये गये निर्णयों के अनुसार इसे गिन 03 विरुद्धों पर परबना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- सर्वप्रथम यह आगे निर्धारित किया जाना है कि हस्तगत प्रकरण "prima facie" किसके पक्ष में है / Merriam-webster डिक्शनरी के अनुसार "prima facie" means at first view or on the first appearance. इसी प्रकार Cambridge Dictionary के अनुसार "prima facie" means "at first sight" (= based on what seems to be the truth when first seen or heard). माननीय Supreme Court ने Dalpat Kumar Vs prahlad Singh 1992 AIR SCW 3128 में दिये गये निर्णय से कांटे 39 प्रथम 1 व 2 सीपी के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या की है, जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है 4-11 is settled law that the grant of injunction is a discretionary relief. The exercise thereof is subject to the court satisfying that (1) there is a serious disputed question to be tried in the suit and that an act, on the facts before the court, there is probability of his being entitled to the relief asked for by the plaintiff/defendant. (2) the court interference is necessary to protect the party from the spectre of injury. In other words, irreparable injury or damage would ensue before the legal right would be established at trial; and (3) that the comparative hardship or mischief or inconvenience which is </p> | |



| | | |
|---------------|-------------------------------------|---|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियलस जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए |
|---------------|-------------------------------------|---|

likely to occur from withholding the injunction will be greater than that would be likely to arise from granting it."

इसी प्रकार Mahadeo Sawaram Shelke and or. v/s Puna Municipal Corporation 1975 AIR SCW 1439 मामले में माननीय Supreme Court ने "prima facie" की व्याख्या की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Colgate Palmolive (India) Pvt Ltd v/s Hindustan Unilever Ltd 1999 AIR SCW 3050 मामले की भी खेरी खिदाई प्रतिपादित किया है।

इस्ताना प्रकारों में आमों प्राधिकरण का कथन है कि काम सरखेडी की वाडवस्तु अराजी खान स० 134 की सहखलेडी / अराधी क्रम मंगीवाई ने अराधी क्रम 1 के पक्ष में अपने समूहों हिस्से 2/15 के बैचान पत्र दिनांक 06/05/2024 में हिस्से भाग विशेष - "बोच में कुंठे के पास की अराजी" का बैचान किया और उसी हिस्से विशेष पर अपनी क्रेता (stranger purchaser) अराधी 2 बिना खाना विभाजन करके भवन कब्जा करने पर आमादा है। प्रत्येक अराधी आमों प्राधिकरण का विरोधात्मक कथन है कि वाडवस्तु आमों का सही सहखलेडी के मध्य बोचों से सौरीके सहमात बरवारा ही रखा है और उसी अनुसार अराधी 2 कब्जाकरीत खली का रही है। अराधी क्रम 2 ने अपने हिस्से व कब्जे में आमों पर लारवो रूपसे खर्च कर ता केवल ह्यूबवैल लगाया है बल्कि आमों सुधार कर अराधी भी बनाया है और इसी भाग का बैचान किया है जिसका इसी पूरा हक न आधिकार है। प्राधिकरण सहखलेडी चंडेरीसिद्ध पुत्र कनीराम के वारिसानों में से है लेकिन अन्य वारिसान व अन्य सहखलेडी को पक्षकार नहीं बनाने से प्रोत्साहित योग्य है।



| | |
|----------------|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज |
| | <p> कृषक की बहल के परिपेक्ष्य में पत्नी का अधिकार दिया गया। वादग्रस्त भूमि की प्लॉट संख्या 2073-76 के अनुसार वादग्रस्त भूमि 20.10 799 रकबा 1.1003 hae इनांक 21/05/2024 की प्रार्थना के पिता चन्द्रसिंह पिता कनौरम हिस्सा 1/2, दादा समदवाड़ पिता कनौरम 1/2, अप्रार्थी क्रम 2 मांगीवाड़ हिस्सा 2/15 व अन्य 8 लोगों की co-tenancy में दर्ज रिकार्ड की सहायता से चन्द्रसिंह, समदवाड़ के पौत्री मांगानरण एवं अक वैचान नामा सं 1597 Dt 29/07/2024 से प्रार्थना व अप्रार्थी क्रम 1 भी सहायता से (वर्तमान प्लॉट इनांक 18/6/2025) बन चुके हैं। प्रैता प्रेमदाई भी विक्री अप्रार्थी 2 के स्थान पर हिस्सा 2/15 की Co-tenant बन चुकी हैं। </p> <p> It is well settled legal position that every Co-tenant has the equal right on each part of the Co-tenancy land held together and therefore, no Co-tenant has right to sell any specific part of that Land. </p> <p> प्रार्थना द्वारा पेश रफि वैचान पर इनांक 06/05/2024 के अनांक से स्पष्ट है कि Co-tenant अप्रार्थी 2 ने हिस्सा विशेष (specific/certain part) का वैचान किया है। यह भी well settled legal position है कि अप्रार्थी प्रैता को स्वतंत्र विक्रय करके बिना किसी भाग विशेष पर प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन अप्रार्थी 1 पत्रन बनाने पर सामर्थ्य है। सभी अप्रार्थी 1 व 2 ने स्वीकार किया है कि अप्रार्थी 1 ने कसबड़ा भूमि पर बनाने का किया है। अप्रार्थी ने वर्षों पूर्व मौखिक पारिवारिक बंधन होने के संबंध में कोई साक्ष्य या स्वयं गवाह (documentary or oral evidence) पेश नहीं किया है। </p> |



| | | |
|----------------|---------------------------------------|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|----------------|---------------------------------------|--|

अपील विवेचन के आधार पर प्रकार
प्रथम द्वारा प्राचीन के पक्ष में है।

(क) सुविधा का संयुक्त

हुक 11 में से 01 सहकारदार (वर्तमान में 17 में से)
ने Co-tenancy Land के specific part को stranger
purchaser को बेचा है और oral family
settlement के संबंध में कोई भी documentary
or oral evidence पेश नहीं किया है। अपीलियों
के प्रतिवादी ने कसबुदा भूमि पर अपील 2 द्वारा
अपील 1 को possession transfer करना भी स्वीकारा
है। बिना स्वता विभाजन के अपील 1 के अवरन
प्रवेश करने से अनावश्यक विवाद व झगड़े के बटने
की भी संभावना है। माननीय राजस्व मंडल की
Larger Bench ने Devjal vs Devshankar & ors
Vs Kamla Shankar & ors 1996 RRD 148 में प्रतिपादित
किया है कि "T.1. Can be issued against a
stranger purchaser who has purchased un-partitioned
Land with possession of the Co-tenants with the
direction that he should not interfere in the
cultivatory possession of the un-partitioned disputed
~~and~~ joint khatedari land and should not use or
take benefit of any part of Land or transfer the
land in Co-tenancy to any person in any way
whatsoever (Paras 4 & 14).

यहां द्वारा - 44 transfer of property Act का
मवलौदत की सुविधा के बिना आवश्यक है। धारा-44
के अनुसार "संयुक्त भादियार (joint tenancy or rights)
की सम्पत्ति में क्रयकर्ता को बटवारा करके ही अपना
हक अलग कराने का भादियार है"।



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहमद
हुकम
में

यही व्यवहार माननीय राज्य सचिव की बैठक
पीठ द्वारा दिनांक 17/3/21 में अपने निर्णय दिनांक
28/01/2025 में दी गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 1966

SC 470 उनकात मनीकराला शाल वनाम नरसिन्हा स्वामी
मामले में भी यही सिद्धान्त प्रतीपादित किया है कि
“एक सह-कृषक के स्वामित्व की ज़रूरत की गई भूमि में
अपनकी क्षेत्रों की तरवारों के कारण ही अपना हिस्सा
अलग करा कर प्रवेश कर सकता है।”

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में
सुविधा या सतुपन प्राचीणों के पक्ष में है।

(रू) अपूरणीय हानि कारित होना

हस्तागत प्रकरण में प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा
या सतुपन दोनों प्राचीणों के पक्ष में विकसित अपनी
क्षेत्रों अप्रार्थी 1 साबित हैं। अप्रार्थी 2 ने सह-
स्वामित्व की भूमि में से बिना स्वामित्व विभाजन
specific part को बेचना और अपनकी क्षेत्रों को
क्या transfer कर प्रवेश करने से ना केवल
प्रकरण का मत में व्यवधान उत्पन्न होगा बल्कि हक व
भाषाकार भी प्रभावित होगी और अनावश्यक मुकदमों की
बढ़ती और अस्थिर प्राचीणों को अपूरणीय हानि
कारित होगी। हानि जमावड़ी के अवलोकनमात्र
नामा 0 ए 1535 Dt 27/7/2024 द्वारा ~~हानि~~ हानि
अपनकी क्षेत्रों का नाम जमावड़ी में दर्ज ही
चुका है और ऐसे नामों को मूलवाद में ही
issue frame कर Adjudicate किया जा सकता है।


अतः उपरोक्त विवेचन व विवेचन के
आधार पर प्राचीणों का प्रकरण पंड 212 RTA का



| | | |
|----------------|---------------------------------------|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|----------------|---------------------------------------|--|

एव 039 R1 32 CPC सप्लीमेंट धारा 151 CPC क्रॉसिंग
 रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी 1 वर
 को तमिलनाडु मूलवाद इस भाष्य कि क्रॉसिंग
 निषेधात्मक से पाबंद किया जाता है कि वे
 सह-स्वतंत्रता के अविभाजित क्रॉसिंग में कब्जा
 में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे एवं
 वे un-partitioned joint khatedan land में किसी भी
 किसी विशेष या किसी प्रकार का उपभोग व उपभोग
 नहीं करे। आवली में सप्लीमेंट लेटर नम्बर से
 कम हीकर मूलवाद के साथ संलग्न है।




 15/11/2025
 उपखण्ड अधिकारी
 पिडवा, जिला भातबाद (तमिलनाडु)